

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

(पीठासीन अधिकारी (कैम्प कोर्ट) कैम्प मीरसा)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार की अमुपंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अपुद्ध)	आदेश (पुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	मीरसा	144	सुरजाराम डा० धनाराम रेग्ग, मण्डीपीला	सुरजमल डा० धनाराम रेग्ग, नि. मण्डीपीला

पीठासीन अधिकारी
कैम्प उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) DK
दिनांक :- 26/6/25

क्रमांक / प्र.गा.के.स. / 2025 / PDX / 23
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

2. प्रार्थी श्री. सुरजमल डा० धनाराम - रेग्ग को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी
कैम्प उपखण्ड अधिकारी (पीठासीन अधिकारी) DK
उपखण्ड अधिकारी, नावां (नामौर) DK